भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *297

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नातकोत्तर चिकित्सा मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि

†*297. कु. सुधा आर.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार के संस्थानों, राज्य सरकार के महाविद्यालयों और मानित-विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की कुल संख्या पृथक-पृथक कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें सृजित की गई हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है;

(घ) क्या इस वर्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) के सभी सीटों को पूर्ण स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम सीट मैट्रिक्स में जोड़ी जाने वाली संभावित सीटों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले मानित-विश्वविद्यालयों द्वारा मुनाफाखोरी और अनियंत्रित शुल्क ढांचे पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *297 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में कुल 86,360 स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटें हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीजी सीटों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। वर्ष 2014-15 से एनएमसी और एनबीईएमएस द्वारा अनुमोदित पीजी सीटों की कुल संख्या का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने नए पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों की स्थापना और मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (पीजीएमईआर), 2023 एवं स्नातकोत्तर न्यूनतम मानक अपेक्षाएं, 2024 के तहत एक नियामक ढाँचा लागू किया है। नए पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने या पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर एनएमसी द्वारा मेडिकल कॉलेज/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विचार किया जाता है और संकाय, अवसंरचना, नैदानिक सामग्री आदि से संबंधित निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन सीटें स्वीकृत की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने भी देश में पीजी मेडिकल सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना प्रत्यायन मानदंडों में छूट देना, नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत, संयुक्त प्रत्यायन योजना का कार्यान्वयन, जिला अस्पतालों को एनबीईएमएस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क पहल शामिल हैं, ताकि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में एनबीईएमएस पाठ्यक्रमों की शुरुआत को सुगम बनाया जा सके।

साथ ही, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्रति सीट ₹1.50 करोड़ की बढ़ी हुई लागत सीमा के साथ 5,000 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र पीजी संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के चरण-III को मंजूरी दी है।

(घ) आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसके विचाराधीन सभी डिप्लोमा सीटों को पूर्ण विकसित पीजी मेडिकल डिग्री (डीएनबी) सीटों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त,

चिकित्सा शिक्षा को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से, एनएमसी ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत निजी चिकित्सा संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के संबंध में शुल्क तथा अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था। तथापि, उपर्युक्त दिशानिर्देशों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और वे न्यायाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनबीईएमएस पाठ्यक्रमों, अर्थात् डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी), डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीआरएनबी), फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड (एफ़एनबी) और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शुल्क का केंद्रीय स्तर पर विनियमन किया जाता है और यह पूरे देश में एकसमान तथा किफ़ायती है। इन कार्यक्रमों के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क ₹1,25,000 है।

अनुलग्नक-I

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	सरकारी पीजी सीटें	निजी पीजी सीटें
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	0
2.	आंध्र प्रदेश	2303	2479
3.	अरुणाचल प्रदेश	28	0
4.	असम	819	174
5.	बिहार	1242	775
6.	चंडीगढ़	635	0
7.	छत्तीसगढ़	665	420
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	46	0
9.	दिल्ली	3448	1281
10.	गोवा	164	9
11.	गुजरात	3008	1442
12.	हरियाणा	697	1371
13.	हिमाचल प्रदेश	345	93
14.	जम्मू और कश्मीर	1175	63
15.	झारखंड	354	166
16.	कर्नाटक	2805	7287
17.	केरल	1255	2424
18.	लद्दाख	14	0
19.	मध्य प्रदेश	1807	1690
20.	महाराष्ट्र	4277	4939
21.	मणिपुर	262	35
22.	मेघालय	57	27
23.	मिज़ोरम	25	0
24.	नागालैंड	12	10
25.	ओडिशा	967	973
26.	पुदुच्चेरी	410	830
27.	पंजाब	669	816
28.	राजस्थान	2969	2056
29.	सिक्किम	0	37
30.	तमिलनाडु	3030	4993
31.	तेलंगाना	1790	3458
32.	त्रिपुरा	115	22
33.	उत्तराखंड	1673	483
34.	उत्तर प्रदेश	3568	3869
35.	पश्चिम बंगाल	2283	1202

अनुलग्नक-II

स्वीकृत पीजी सीटों की कुल संख्या का वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	शैक्षणिक वर्ष	एनएमसी द्वारा स्वीकृत पीजी सीटों की संख्या	एनबीईएमएस द्वारा स्वीकृत पीजी सीटों की संख्या
1.	**2014-15**	415	612
2.	**2015-16**	504	-261
3.	**2016-17**	600	2035
4.	**2017-18**	4965	624
5.	**2018-19**	3511	538
6.	**2019-20**	2802	1839
7.	**2020-21**	4983	661
8.	**2021-22**	4708	1954
9.	**2022-23**	2874	963
10.	**2023-24**	4713	1209
11.	**2024-25**	4188	1667
12.	**2025-26**	9084	2009
